UPAG010152982025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10 आगरा।
पीठासीन अधिकारी–प्रदीप कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP01733

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–1058/2025

सियाराम पुत्र स्व0 श्री गरीब दास, निवासी–66/356–ए, पुरानी आबादी, नरीपुरा, शाहगंज, थाना शाहगंज, जिला आगरा, उम्र करीब 50 वर्ष। ..... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. मुनीश राज स्वरूप पुत्र नामालूम, निवासी–75, लोकेन्द्र पुरी, गढ़ी भदौरिया, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा, उम्र करीब 50 वर्ष, वर्तमान तैनाती सहायक अभियन्ता, आगरा इकाई–1, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, सुल्तानगंज परिसर, उत्तरी विजय नगर, थाना हरीपर्वत, जिला आगरा।
3. अनुराग सिंह पुत्र नामालूम, तत्कालीन प्रोजेक्ट मैनेजर/वर्तमान प्रबन्धक, उम्र करीब 55 वर्ष, हाल पता–राजकीय निर्माण विभाग मण्डलीय कार्यालय, विभव नगर, ताजगंज, थाना ताजगंज, जिला आगरा।
4. सतेन्द्र कुमार पुत्र नामालूम, तत्कालीन प्रोजेक्ट मैनेजर/वर्तमान महा प्रबन्धक (लखनऊ अंचल–1), अशोक मार्ग, लखनऊ, उम्र करीब 57 वर्ष
5. राम विलास पुत्र नामालूम, उम्र करीब 52 वर्ष, तैनाती राजकीय निर्माण विभाग निगम डूडा इकाई, मथुरा, हाल पता–राजकीय निर्माण निगम मण्डलीय कार्यालय, विभग नगर, ताजगंज, थाना ताजगंज, जिला आगरा।
6. 2–3 अन्य कर्मचारीगण नाम पता अज्ञात सूरत शिनाख्त ..... विपक्षीगण

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता सियाराम की ओर से विपक्षीगण उत्तर प्रदेश राज्य व चार अन्य के विरूद्ध प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या–250/2025, सियाराम बनाम मुनीश राज स्वरूप आदि, अन्तर्गत धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0, थाना ताजगंज, जिला आगरा के मामले में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–1, आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.11.2025 के विरूद्ध संस्थित किया गया है। उक्त आलोच्य आदेश के माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 निरस्त किया गया है।

उक्त पुनरीक्षण अंगीकृत होने के उपरान्त निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण के आधारस्वरूप कथन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश असंगत एवं अवैधानिक न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध पत्रावली का सम्यक परिशीलन किये बिना ही पारित किया गया है, जो विधिक रूप से वैधानिक नहीं है। विद्वान

विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण की गम्भीरता पर विचार नहीं किया गया है और न ही गम्भीरता से सुना गया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दाखिल प्रकीर्ण वाद/प्रार्थनापत्र 173(4) बी0एन0एस0एस0 विपक्षीगण मुनीष राज स्वरूप आदि के विरूद्ध प्र0सू0रि0 पंजीकृत कराने हेतु अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसे अवर न्यायालय द्वारा दर्ज न करके उसको केवल थाना एवं विभागीय आख्या के अनुसार, जो विपक्षीगण द्वारा पुलिस व विभाग के अधिकारीगण से सांठ गांठ कर गलत रिपोर्ट लगायी गयी है, को आधार बनाकर खारिज कर दिया गया है, जबकि पत्रावली में सम्पूर्ण साक्ष्य मामले की विवेचना कराये जाने के सम्बन्ध में मौजूद था। पुनरीक्षणकर्ता को उक्त मामले में न्याय केवल प्रथम सूचना दर्ज होने के उपरान्त ही मिलना सम्भव हो सकता है। अवर न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में मात्र पुलिस व विभागीय आख्या को दर्शाकर प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया है, जो कि अवर न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप आदेश न करके एवं न्यायिक मस्तिष्क का इस्तेमाल न करते हुए उपरोक्त आदेश विधि विरूद्ध कर दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद की विभिन्न नजीरो में संज्ञेय अपराध का प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने सियाराम पर अगर कोई मामला साक्ष्य सहित विधि के अनुरूप है, तो उसमें मुकदमा लिख विवेचना कराया जाना समीचीन होगा। अवर न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य/विधि विरूद्ध आदेश से स्पष्ट होता है कि अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अवर न्यायालय द्वारा मुनीश राज स्वरूप आदि के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत न करके विधि एवं तथ्य की भूल की है, जो कि विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अवर न्यायालय विपक्षी के विरूद्ध विधि अनुसार थाना पर मुकदमा पंजीकृत न कराकर विधि अनुसार विवेचना के आदेश पारित न करके तथा निगरानीकर्ता का मुकदमा खारिज करके विधिक त्रुटि की है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेशध/वधि विरुद्ध तथ्यों से परे जाकर पारित किया गया है, इसलिए पोषणीय नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है, जो नितान्त ही गलत एवं निराधार है। उपरोक्त प्रकरण में संज्ञेय अपराध घटित होने का पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद था, जिसे अवर न्यायालय द्वारा नजरअंदाज करते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है, जबकि मामला संगीन अपराध से सम्बन्धित है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश तमाम कानूनी त्रुटियों सहित है, इसलिए स्थिर रहने योग्य नहीं है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.11.2025 के विरूद्ध यह प्रथम निगरानी है, इसके अलावा अन्य निगरानी माननीय उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद तथा अन्य किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश

निगरानी में अपास्त होने योग्य है। पुनरीक्षणकर्ता का दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 19.11.2025 को अपास्त कर प्रकीर्ण वाद/प्रार्थनापत्र पर पुनः विधि सम्मत सुनवाई करने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गई है।

पुनरीक्षण याचिका पर तर्क प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त तामीला के बावजूद भी विपक्षी संख्या–2 लगायत 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी। अतः प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है।

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपनी पुनरीक्षण के समर्थन में शपथपत्र के साथ आधारकार्ड की प्रति व विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–1, आगरा द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या–250/2025, सियाराम बनाम मुनीश राज स्वरूप आदि, अन्तर्गत धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0, थाना ताजगंज, जिला आगरा के मामले में पारित आदेश दिनांकित 19.11.2025 की सत्यापित प्रति दाखिल की गयी है।

पूर्व नियत तिथि पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने हेतु धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किये बिना, प्रकरण की गम्भीरता पर विचार व अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत, क्षेत्राधिकार से परे जाकर जल्दबाजी में व सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश निरस्त कर पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने पुनरीक्षण पर तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिक रूप से न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है, उसमें कोई अशुद्धता, अनियमितता एवं क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सुनने, पुनरीक्षण की पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता सियाराम के द्वारा यह पुनरीक्षण विद्वान विचारण न्यायालय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–1, आगरा द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या–250/2025, सियाराम बनाम मुनीश राज स्वरूप आदि में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.11.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा थाने द्वारा प्रेषित आख्या, अनुराग सिंह, अतिरिक्त महाप्रबन्धक (आगरा अंचल) की आख्या, प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन के उपरान्त यह आदेश पारित किया गया कि ''आवेदक का कथन है कि आवेदक से मुनीश राज स्वरूप ने अन्य विपक्षीगण से मिलकर वृन्दावन के संस्थान में मुक्ताकशी मंच का निर्माण दिनांक 13.01.2017 से दिनांक 28.04.2018 तक निर्माण का ठेका देकर निर्माण कार्य पूरा कराया, जिसके बावत उसकी फर्म का लागत मय माल के मु0 8,00,000/–रुपये एवं जी0एस0टी0 उ0प्र0 राज्य निर्माण निगम, जवाहर बाग, मथुरा पर बकाया है, जिसे लेने के लिए वह दिनांक 21.05.2025 को समय करीब 4:00 बजे शाम महाप्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम मण्डल, आगरा विभव नगर स्थित थाना क्षेत्र ताजगंज, जिला आगरा पर गया, जहां उसे अनुराग सिंह, मुनीशराज स्वरूप, राम विलास व सतेन्द्र कुमार व 2–3 अन्य कर्मचारी समय करीब 04:00 बजे मौजूद मिले तथा जिनसे आवेदक द्वारा किये गये कार्य के भुगतान माँगा, तो विपक्षीगण बिखर गये तथा एकराय होकर धमकी दी कि कोई भुगतान नहीं होगा तुझे जो करना है, कर ले विभाग से एक रूपया भी नहीं मिलेगा तथा अभद्र भाषा का प्रयोग कर धमकी देते हुए ऑफिस से भगा दिया, परन्तु अनुराग सिंह, अति0 महाप्रबन्धक (आगरा अंचल) की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक दिनांक 21.05.2025 को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये और न ही दिनांक 21.05.2025 को मुनीश राज स्वरूप, सहायक अभियन्ता एवं सतेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रोजेक्ट मैनेजर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित थे, बल्कि मुनीशराज स्वरूप, सहायक अभियन्ता वर्तमान में आगरा इकाई–1, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, सुल्तानगंज परिसर, उत्तरी विजय नगर, आगरा में तैनात हैं एवं सतेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रोजेक्ट मैनेजर वर्तमान में महाप्रबन्धक (लखनऊ अंचल–1), अशोक मार्ग, लखनऊ के कार्यालय में तैनात हैं। इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। आवेदक के प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के आधार पर एवं सम्बन्धित थाने की आख्या एवं विपक्षीगण के सम्बन्धित विभाग के पत्र दिनांकित 04.06.2025 के आलोक में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने अथवा उस पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार न पाते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 निरस्त किया

गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अमित कपूर बनाम रमेश चन्द 2012(9) एस0सी0सी0 460** में यह मत व्यक्त किया है कि ''जहॉ तक पुनरीक्षण न्यायालय का प्रश्न है। पुनरीक्षण न्यायालय का दायरा अत्यन्त सीमित होता है। पुनरीक्षण के स्तर पर पुनरीक्षण न्यायालय को मात्र यह देखना है कि क्या आलोच्य आदेश किसी गम्भीर वैधानिक त्रुटि से ग्रसित है अथवा नहीं, अथवा किसी विधिक प्रावधान के विपरीत तो यह आदेश पारित नहीं किया गया है। पुनरीक्षण तब स्वीकार होगा, जब आलोच्य आदेश किसी साक्ष्य पर आधारित न हो अथवा किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य को नकार दिये जाने या न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढ़ंग से करने अथवा विकृत रूप से करने की दशा में ही पुनरीक्षण स्वीकार हो सकता है।''

उपरोक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है कि पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियां बहुत सीमित हैं। पुनरीक्षण न्यायालय को यह देखना है कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता, अनियमितता तो नहीं है और क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि तो नहीं की गयी है।

धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 यह प्रावधान करती है कि:—**''धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कि कोई मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश कर सकता है।''**

धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष तीन विकल्प होते हैं। प्रथम विकल्प के रूप में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित न्यायालय प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर सम्बन्धित थाने को प्रकरण के सम्बन्ध में उचित धाराओं में वाद दर्ज कर विवेचना करने हेतु आदेशित कर सकता है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सकीरी वासु बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (2008) 2 एससीसी 409** में अवधारित किया गया है कि ''यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 योजित किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट सम्बन्धित थाने को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कर उचित विवेचना किये जाने का आदेश पारित कर सकता है।'' दूसरे विकल्प के रूप में मजिस्ट्रेट उक्त प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर मामले का प्रसंज्ञान ले सकता है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2007 (59) एसीसी 739** में निर्धारित किया गया है कि ''प्रत्येक मामले में यह आवश्यक नहीं होता कि मजिस्ट्रेट धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करे, अपितु मजिस्ट्रेट को यह विकल्प प्राप्त है कि वह उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है।'' तीसरे विकल्प के रूप में

सम्बन्धित मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित न्यायालय धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 के अन्तर्गत योजित प्रार्थनापत्र को निरस्त कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **नीलम देवी बनाम उ0प्र0 राज्य, केस अन्तर्गत धारा–482 नं0–4994/2017, निर्णय दिनांकित 03.08.2017** में यह निर्धारित किया गया है कि ''धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए और इस बिन्दु पर विचार करना चाहिए कि क्या उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया जाना ही आवश्यक है। यदि मजिस्ट्रेट यह पाता है कि उक्त प्रार्थनापत्र में रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उक्त प्रार्थनापत्र को निरस्त कर सकता है, भले ही उक्त प्रार्थनापत्र में संज्ञेय अपराध कारित किये जाने का आरोप लगाया गया हो।'' इस प्रकार सम्बन्धित न्यायालय या सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त तीनों विकल्प मौजूद रहते हैं और प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 प्राप्त होने पर तीसरे विकल्प का उपयोग किया गया है और तद्नुसार प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया है।

उपरोक्त तीनों विकल्पों का उपयोग मजिस्ट्रेट को न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए किया जाना चाहिए। न्यायिक विवेक का उपयोग सोच समझकर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आवेदक सियाराम के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 को यह निष्कर्ष देते हुए खारिज किया गया है कि आवेदक ने लोक सेवकों के विरूद्ध प्रार्थनापत्र दिया है। न्यायालय द्वारा धारा 175(4)(ख) भा0ना0सु0सं0 के प्रावधानों के अनुरूप दिनांक 30.05.2025 को आदेश पारित करके विपक्षीगण से रिपोर्ट मांगी गयी, जिसके अनुपालन में अनुराग सिंह, अतिरिक्त महा प्रबन्धक, आगरा अंचल का पत्र दिनांकित 04.06.2025 न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिनांक 21.05.2025 को वह कार्यालय में उपस्थित नहीं थे और न ही मुनीश राज स्वरूप और सतेन्द्र कुमार कार्यालय में उपस्थित थे। मुनीश राज स्वरूप, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, सुल्तानगंज परिसर, आगरा में तैनात है और सतेन्द्र कुमार, लखनउ के कार्यालय में तैनात है। अपराह्न 03:00 बजे से 5:00 बजे की सी0सी0टी0वी0 फुटेज पैनड्राइव के साथ संलग्न किये जाने का तथ्य भी अंकित किया गया है। आवेदक ने घटना दिनांक 21.05.2025 की दर्शायी है और कथन किया है कि वह वृन्दावन के मुक्ताकाशी मंच का निर्माण दिनांक 13.01.2017 से 28.04.2018 तक पूरा करने के बाद आठ लाख

रुपये मय जी0एस0टी0 उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम, मथुरा पर बकाया होने के कारण जिलाधिकारी, मथुरा व अपर परियोजना प्रबन्धक आदि अधिकारियों को बिल के साथ पंजीकृत डाक से अवगत कराया, किन्तु उनका भुगतान नहीं हुआ। दिनांक 21.05.2025 को उसी के सम्बन्ध में रिवीजनकर्ता समय 4:00 बजे महा प्रबन्धक राजकीय निर्माण निगम, मण्डल आगरा विपक्षीगण के पास गया, तो वह मौजूद मिले और एकराय होकर उसे धमकी दिये कि तुम्हारा भुगतान नहीं होगा, तुम्हें जो करना है, कर लो। उक्त तथ्य परिस्थितियों में रिवीजनकर्ता का कथन है कि उसने उक्त वारदाद की बावत धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, किन्तु न्यायालय ने थाने की आख्या व विपक्षीगण की रिपोर्ट के आधार पर उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि विपक्षीगण लोक सेवक की श्रेणी के कर्मचारी हैं। यदि यह तथ्य मान लिया जाये कि आवेदक के विपक्षीगण के सम्बन्धित विभाग पर आठ लाख रुपये मय जी0एस0टी0 बकाया निकलते हैं और वह उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और आवेदक के मुताबिक उसके पास ठेके पर निर्माण कार्य पूर्ण करने की बावत बिल आदि मुनीश राज स्वरूप के साथ उपलब्ध हैं, जबकि मुनीश राज स्वरूप तत्समय उक्त कार्यालय में सहायक अभियन्ता के रूप में कार्यरत थे, ऐसी परिस्थिति में आवेदक आदेश 37 सी0पी0सी0 के तहत रिकवरी हेतु समरी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए सिविल वाद व्यवहार न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं और वहां अपना पक्ष साबित करके अपने कथित धनराशि की वसूली आदि सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त वैकल्पिक अनुतोष के होते हुए पैसे की रिकवरी हेतु धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0 के प्रार्थनापत्र का स्वीकार किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह सिविल प्रकृति के वाद में जो रिकवरी जा सकती है, उसे फौजदारी का वाद दर्ज करा करके दबाव बनाने की श्रेणी का मामला माना जायेगा। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **मोहम्मद इब्राहिम व अन्य बनाम बिहार राज्य 2010 (1) जे0आई0सी0 133 एस0सी0** में यह अवधारित किया गया है कि ''जहां मामलों में दीवानी प्रकृति का विवाद प्रश्नगत हो, ऐसे मामलों को आपराधिक स्वरूप प्रदान करने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।''

उपरोक्त विधि व्यवस्था एवं तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि अथवा क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल में कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है तथा आलोच्य आदेश में निगरानी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने हेतु कोई आधार विद्य

मान नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–1058/2025 खारिज किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–1, आगरा द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या–250/2025, सियाराम बनाम मुनीश राज स्वरूप आदि, अन्तर्गत धारा 173(4) भा0ना0सु0सं0, थाना ताजगंज, जिला आगरा में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 19.11.2025 पुष्ट किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(प्रदीप कुमार–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10,
आगरा।
J.O. Code-UP1733

दिनांकः–10.08.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10,
आगरा।
J.O. Code-UP1733

दिनांकः–10.08.2026

Digitally signed by PRADEEP KUMAR
Date: 2026.08.10 17:46:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court